



# Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited

(A Government of Chhattisgarh Undertaking)

1<sup>st</sup> Floor, Udyog Bhawan, Ring Road No.1, Telibandha, Raipur(C.G.) – 492006

CIN : U45203CT1981SG001853. PAN : AABCM6288N. GST Regn. No. 22AABCM6288N5ZY

Phone : 0771-6621000 Fax : 0771-2583794

Website : www.esidc.in. Email address:esidc.cg@nic.in.esidc\_raipur@yahoo.com

## (प्रथम आमंत्रण), अल्पकालीन निविदा सूचना (मैन्यूअल पद्धति)

निविदा क्रमांक 26 / सीएसआईडीसी / ई.ई.-1 / संभाग-1 / 2019-20 /

रायपुर, दिनांक 14 / 02 / 2020

मुहरबंद निविदाये फार्म 'अ' (प्रतिशत दर) वांछित श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य में एकीकृत पंजीयन प्रणाली 'ई-पंजीयन' के अन्तर्गत पंजीकृत 'अ' वर्ग विद्युत लाईसेंसधारी ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों हेतु दिनांक 07 / 03 / 2020 अपरान्ह 3.00 बजे तक कार्यालय कार्यपालन अभियंता संभाग-1 सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, द्वितीय तल, रिंग रोड नं0-01 तेलीबांधा, रायपुर में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

स. क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत रू.	अमानत राशि रू.	निविदा प्रपत्र मूल्य रू.	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदाकार की श्रेणी	निविदा का प्रकार	दर अनुसूची (एस.ओ.आर)
1	औद्योगिक क्षेत्र कापन में ADM, CFC, Shed and OHT के परिसरों में एरीया लाईटिंग का कार्य।	12.25 लाख	9200/-	885/-	21 दिवस	द वर्ग एवं इससे उपर	प्रतिशत दर	SOR for Electrical works w.e.f. 01.07.2015 issued by Engineer-in-chief C.G. PWD Raipur (C.G.) and Market Rate.

शर्तें :-

- (1) कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय के कार्यपालन अभियंता संभाग-1 से कार्यालयीन अवधि में निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य नगद मुख्यालय उद्योग भवन, द्वितीय तल रिंग रोड नम्बर 01, तेलीबांधा रायपुर में भुगतान कर दिनांक 06 / 03 / 2020 को अपरान्ह 2.00 बजे तक तकनीकी कार्यालय कार्यपालन अभियंता संभाग-1 सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, द्वितीय तल रिंग रोड नम्बर 01, तेलीबांधा, रायपुर से प्राप्त किये जा सकते है।
- (2) निविदाकार को Non SOR आईटम जी-शेडयूल सरल क्रमांक 14 एवं 15 हेतु पृथक से दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (3) निविदा आवेदन क्रय करने हेतु ठेकेदारी पंजीयन, जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (4) निविदा स्वीकृत उपरांत सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का पंजीयन कराने के पश्चात ही कार्यादेश दिया जाएगा, साथ ही भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 3 (1) के अंतर्गत निर्माण कार्य (Construction Works) पर 1 प्रतिशत उपकर (शेष) देय होगा। देयको के भुगतान में से उक्त राशि काटी जावेगी एवं सर्विस टैक्स लागू होने पर तदानुसार कटौती की जावेगी।
- (5) उल्लेखित कार्य हेतु कार्य पूर्ण करने की अवधि से 01 वर्ष (12 माह ) तक संपादित कार्य का संधारण तथा मरम्मत कार्य ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से किया जाना है। जिसके लिये कार्य की संपूर्ण लागत की 05 प्रतिशत राशि **Performance Guarantee** के रूप में रोकी जावेगी, तथा वह राशि सफलतापूर्वक आवश्यक संधारण तथा मरम्मत कार्य पूर्ण किये जाने पर ही विमुक्त की जावेगी।
- (6) अमानत राशि किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक का सावधि जमा रसीद (FDR) जो कि, प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, रायपुर (Managing Director, CSIDC, Raipur) के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ अलग से लिफाफे में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (7) **GST will be applicable & should be paid by contractor.**
- (8) **All the document to be submitted shall be duly clean readable otherwise tender will not be accepted.**
- (9) निविदाये निगम (संभाग-01) की निविदा पेट्री में डालनी होगी। डाक द्वारा प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।
- (10) निविदा प्रकाशन में टंकन आदि की त्रुटि होने पर मूल अभिलेख ही मान्य होंगे।
- (11) निगम द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मापदण्ड के अनुसार ही निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- (12) निविदा के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी (यदि कोई आवश्यक हो तो) कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, संभाग-01 सीएसआईडीसी, द्वितीय तल, उद्योग भवन रिंग रोड क्र.-1 तेलीबांधा रायपुर से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।
- (13) कोई भी या सभी निविदायें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

कार्यपालन अभियंता, संभाग-1